BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 56/2026

SHAILESH SINGH **…APPLICANT(S)**

VERSUS

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD &

ORS

…RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5- DISTRICT MAGISTRATE, BAREILLY, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 29.01.2026 BY THE HON’BLE TRIBUNAL	
2.	COPIES OF LETTERS DATED 22.12.2022 AND 29.04.2023 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-1	

3.	A COPY OF SITE INSPECTION REPORT DATED 24.02.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF LETTER DATED 16.02.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF THE MINUTES OF MEETING DATED 30.03.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF LETTER DATED 22.04.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-7838248353

Date: 24.04.2025

Place: Noida

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 56/2026

NOTARY
MUNISHWAR DAYAL
ADVOCATE & NOTARY
KATCHERY BAREILLY (U.P.)
REG. No. 8505
VALID UP TO
JUNE 2026
GOVERNMENT OF INDIA

SHAILESH SINGH **...APPLICANT(S)**

VERSUS

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD & ORS

...RESPONDENT(S)

NOTARY
MUNISHWAR DAYAL
ADVOCATE & NOTARY
KATCHERY BAREILLY (U.P.)
REG. No. 8505
VALID UP TO
JUNE 2026
GOVERNMENT OF INDIA

593
24/4/26

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5- DISTRICT MAGISTRATE, BAREILLY, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 29.01.2026 BY THE HON'BLE TRIBUNAL

I, Avinash Singh aged about 55 years, S/o Late Shri Dinesh Bahadur Singh, posted as District Magistrate, Bareilly, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

Scanned with OKEN Scanner

2. That, I state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

BACKGROUND OF THE MATTER

3. That, in the present Original Application, the applicant has alleged violation of environmental norms by Respondent No. 6 unit namely M/s Marya Frozen Agro Food Products Pvt. Ltd., alleging that the said unit is carrying out slaughtering operations beyond the permissible limits, discharging untreated effluents outside its industrial premises, and not complying with the Zero Liquid Discharge (ZLD) conditions.

4. That, the matter was last listed for hearing on **29.01.2026**, wherein the Hon'ble Tribunal directed as follows:

   "*5. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.*

   9. List on 27.04.2026."

REPLY IS AS FOLLOWS

I. CONSTITUTION OF DISTRICT LEVEL MONITORING COMMITTEE AND REGULAR INSPECTION OF SLAUGHTERHOUSES IN BAREILLY

5. That, it is most humbly submitted that the deponent department, vide letters no. **5117-19/CVO/Animal-Husbandry/2022-23** dated **22.12.2022** and **52/2023-24** dated **29.04.2023**, has constituted a District Level Committee in District Bareilly and has directed the same for regular monthly monitoring and inspection of slaughterhouses operating within the district.

   Copies of letters dated 22.12.2022 and 29.04.2023 are annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-1***.

6. That, pursuant to the aforesaid directions, the monthly site inspection of Respondent No. 6 unit was carried out on **24.02.2026** by the said District Level Committee, wherein the unit was found compliant with the relevant norms.

   A copy of Site Inspection Report dated 24.02.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-2***.

II. JOINT INSPECTION OF THE RESPONDENT NO. 6 UNIT IN COMPLIANCE WITH DIRECTIONS OF THE HON'BLE TRIBUNAL

7. That, in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, the deponent, vide letter no. **1023/NGT-OA-No.-56/2026 dated 16.02.2026**, requested the Member Secretary, CPCB; the Regional Officer, MoEF&CC, Lucknow; and the Member Secretary, U.P. Pollution Control Board to nominate their respective representatives for carrying out a joint inspection of the unit of Respondent No. 6, so as to ensure compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal in their true letter and spirit.

   A copy of letter dated 16.02.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-3***.

8. That, for ensuring compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, the deponent convened a meeting on **29.03.2026** with all concerned officers to review the status of inspection of Respondent No. 6 unit and its compliance with the applicable norms, as directed by the Hon'ble Tribunal. The Minutes of the said meeting were circulated vide letter no. **1199/NGT/OA-No.-56/2026 dated 30.03.2026**.

   A copy of the Minutes of Meeting dated 30.03.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-4***.

9. That, it was further informed during the aforesaid meeting that in compliance with directions of the Hon'ble Tribunal, site inspection of the slaughterhouse unit of Respondent No. 6 had been conducted on **12.03.2026** by the Joint Committee comprising the following members:

- Dr. A. K. Gupta, Scientist 'E', Regional Office, MoEF&CC, Lucknow;
- Shri Kamal Kumar, Scientist 'E', CPCB Regional Directorate, Lucknow;
- Shri Ramjanam Yadav, Additional Sub-Divisional Magistrate, Bareilly (***Representative of the deponent***); and
- Shri Chandresh Kumar, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Bareilly.

(***That, the Joint Committee Report dated 10.04.2026 has already been placed on record before the Hon'ble Tribunal and, therefore, the contents thereof are not being repeated herein for the sake of brevity***).

III. DIRECTIONS ISSUED FOR COMPLIANCE OF JOINT COMMITTEE RECOMMENDATIONS

10. That, in further compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, the deponent vide letter no. **70/NGT/OA No.-56/2026** dated **22.04.2026** directed the Additional Chief Executive Officer, Jila Panchayat, Bareilly and the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Bareilly, to ensure that the

directed the Apar Mukhya Adhikari, Jila Panchayat, Bareilly and the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Bareilly, to ensure that the recommendations made by the Joint Committee in its inspection report dated **10.04.2026** in respect of Respondent No. 6 unit are duly complied with, and to intimate the deponent regarding the action taken in this regard. A copy of letter dated 22.04.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-5***.

NOTARY ★ MUNISHWAR DAYAL ADVOCATE & NOTARY KATCHERY BAREILLY (U.P.) REG. No. 8505 VALID UPTO JUNE 2026 GOVERNMENT OF INDIA

11. Hence, this response is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

12. That, everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Scanned with OKEN Scanner

VERIFICATION

Verified at Bareilly on this 24 day of April 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY ★ MUNISHWAR DAYAL ADVOCATE & NOTARY KATCHERY BAREILLY (U.P.) REG. No. 8505 VALID UP TO JUNE 2026 ★ GOVERNMENT OF INDIA

tified By Shri/Smt. Avinash Singh
entified By Shri Sowmed.........
nd Confirmed The Contents of Affidavit in My
resence At Bareilly Dated......24/4/26
nd Further Understood The Contents

MUNISHWAR DAYA.
Advocate & Notary
Kachery Bareilly (U.P.

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-1

कार्यालय जिलाधिकारी,बरेली

पत्रांक 5117-19 /सी.वी.ओ./पशुपालन/२०२२-२३ दिनॉक 22/12/2022

1– सिटी मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी,द्वारा नामित अधिकारी)

2– मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी बरेली

3– क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली

4– अभिहीत अधिकारी भारतीय खाद संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बरेली।

विषयः– जनपद में कार्यरत पशुवधशाला के निरीक्षण के संबंध में।

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव,उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 461/37–1–2017 दिनॉक 24 मार्च 2017 (पताका'क') के द्वारा पशुवधशाला एंव पशु परिवहन से संबंधित अधिनियमो/नियमों/मानकों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद में स्थित समस्त पशु वधशालाओं का पर्याप्त निरीक्षण एवं निरीक्षणोपरान्त कार्यवाही/अनुशंसा/ संस्तुति की स्थिति में प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से निर्धारित संलग्न प्रारूप पर निदेशक,रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग उ०प्र० को उपलब्ध कराए जाने हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेशों के परिपालन निरीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(शिवाकान्त द्विवेदी)
जिलाधिकारी CVO

पत्रांक /उक्तदिनॉकित।

1- अपर निदेशक,ग्रेड-२ पशुपालन विभाग,बरेली मण्डल बरेली।।

2- निदेशक,रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(शिवाकान्त द्विवेदी)
जिलाधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली।

पत्रांक– 52 /2023–24 दिनांक– 29/04/2023

01. नगर मजिस्ट्रेट बरेली।
02. पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बरेली।
03. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बरेली।
04. अभिहित अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण बरेली।
05. अपर नगर आयुक्त (प्रथम), नगर निगम बरेली।
06. पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी, नगर निगम बरेली।

विषय– नगर निगम पशु वधशाला, मोहनपुर ठिरिया, बरेली के निरीक्षण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र 461/37–1–2017, दिनांक 26 मार्च 2017 के द्वारा पशुवधशाला एवं पशु परिवहन से सम्बन्धित अधिनियमों/मानकों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद में स्थित समस्त पशु वधशालाओं का पर्याप्त निरीक्षण एवं निरीक्षणोपरान्त कार्यवाही/अनुशंसा/संस्तुति की स्थिति से प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर निदेशक रोग, नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग उ0प्र0 को उपलब्ध कराये जाने हेतु कमेटी गठित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में मोहनपुर ठिरिया, बरेली स्थित नगर निगम पशु वधशाला के नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण किये जाने हेतु आप समस्त को सम्मिलित करते हुये अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता है व निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से निरीक्षण/मासिक सत्यापन करते हुये निदेशक रोग, नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

पत्रावली / स्था0

CVO

(शिवाकान्त द्विवेदी)
जिलाधिकारी
बरेली।

पत्रांक– /2023–24 दिनांक– यथोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01/5/23

01. अपर निदेशक, ग्रेड–2 पशुपालन विभाग, बरेली मण्डल बरेली।
02. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
03. नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली।

जिलाधिकारी
बरेली।

Scanned with OKEN Scanner

जनपद बरेली में स्थापित/संचालित पशुवधशाला मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला (आपरेटर मै0 मारिया फोजन एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्रा0लि0) मोहनपुर ठिरिया, बरेली की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में–

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली के पत्र सं0 5117–19/सी0बी0ओ0/ पशुपालन/ 2022–23 दिनांक 22.12.2022 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद बरेली में स्थापित/संचालित स्लॉटर हाउस मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला (आपरेटर मै0 मारिया फोजन एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्रा0लि0) मोहनपुर ठिरिया, बरेली का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 24.02.2026 को संयुक्त समिति द्वारा उद्योग प्रतिनिधि श्री सरफराज अहमद, निदेशक की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के समय समिति के समक्ष आई0एम0एस0 पोर्टल संदर्भ सं0 325930155, 215926911, 534339328, 633041288, 577970025, 258701617 एवं कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली के ई0यू093365571714 दिनांक 11.02.2026 एवं आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 60000260041002 दिनांक 12.02.2026 के माध्यम से श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, इण्टरनेशन सिटी, नरियावल तथा आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0 60000260041422 दिनांक 14.02.2026 के माध्यम से कपिल राना, ग्राम– इण्टरनेशनल सिटी, बरेली एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एच 38080/सी–7/शिकायती बरेली/2026 दिनांक 16.02.2026 के माध्यम से की गयी शिकायत में उल्लिखित शिकायती बिन्दुओं को समावेशित कर बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है–

1. नगर निगम, बरेली के स्वामित्व की पशुवधशाला को ऑपरेटर मै0 मारिया फ्रोजन एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, मोहनपुर द्वारा वर्ष 2017 में पी0पी0पी0 मॉडल पर उच्चीकृत कर मॉडर्न पशुवधशाला के रूप मे स्थापित/संचालित है, जिसमें 300 नं0 प्रतिदिन अप्रतिबन्धित पशुओं (भैस/भैसा) का वध कर 46.50 मीट्रिक टन फ्रोजेन मीट तथा 550 नं0 गोट/शीप का वध कर 5.50 मीट्रिक टन मीट की क्षमता प्राप्त है। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया।
2. उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र स्थापित है, जिसकी इकाईयॉ क्रमशः बार स्क्रीन, सॉलिड सेपरेटर, ऑयल/फैट रिमूबल टैंक, इक्वालाइजेशन टैक, यू0ए0एस0बी0, केमिकल डोजिंग टैंक, फ्लोकुलेशन टैंक, प्राइमरी क्लेरी फायर, एयरेशन टैंक– I, सेकेण्ड्री क्लेरी फायर– I, एयरेशन टैंक– II, सेकेण्ड्री क्लेरिफायर– II, क्लीयर वॉटर टैंक, मल्टी ग्रेड फिल्टर, एक्टीवेटेड कार्बन, स्लज ड्राइंग बेडस हैं। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र द्वारा शोधित उत्प्रवाह को लैगून में एकत्रित किया जाता है तथा लैगून से शोधित उत्प्रवाह को करनाल टैक्नोलॉजी में सिंचाई में, उद्योग परिसर में बागवानी की सिंचाई में एवं लैरेज वॉशिंग में प्रयुक्त किया जाता है।
3. उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट पर स्थापित ऑनलाइन इफ्ल्यून्ट मानीटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से कनेक्ट है। उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र द्वारा शोधित उत्प्रवाह को लैगून में एकत्रित किया जाता है तथा लैगून से शोधित उत्प्रवाह को करनाल टैक्नोलॉजी में सिंचाई में प्रयुक्त किया जाता है। निरीक्षण के समय पशुवधशाला में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट पर स्थापित ऑनलाइन इफ्यूलेण्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के पैनल में पी0एच0–7.64, सी0ओ0डी–135 मि0ग्रा0/ली0, बी0ओ0डी–18 मि0ग्रा0/ली0, टी0एस0एस0–35 मि0ग्रा0/ली0 एवं वाटर फ्लो डिस्चार्ज–6.02 मी0^3/घंटा प्रदर्शित होते हुये पाये गये, जो कि बोर्ड मानको के अनुरूप है।
4. निरीक्षण के समय औद्योगिक प्रक्रिया से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अन्तिम निस्तारण बिन्दु से एकत्रित कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली की प्रयोगशाला में जमा किया गया, प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नमूने में पाये जाने वाले विभिन्न प्रचालक बोर्ड मानको के अनुरूप पाये गये। शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने की विश्लेषण आख्या संलग्न है।
5. उद्योग में वाष्प जनन हेतु 06 टन/घंटा क्षमता का ब्वॉयलर स्थापित है जिसमें ईधन के रूप में लकडी/राइस हस्क लगभग 08 टन/दिन की दर से प्रयोग किया जाता है। फ्लू ग़ैसो के उत्सर्जन हेतु ब्वॉयलर से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग 33 मीटर है। उक्त ब्वॉयलर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टी साइक्लोन डस्ट कलेक्टर स्थापित है। इसके अतिरिक्त उद्योग में स्थापित 02 टन/घंटा क्षमता के 01 नं0 ब्वॉयलर में ईधन के रूप में लकडी/राइस हस्क लगभग 1.5 टन/दिन की दर से प्रयोग किया जाता है। फ्लू गैसो के उत्सर्जन हेतु ब्वॉयलर से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग 20 मीटर है। उक्त ब्वॉयलर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टी साइक्लोन डस्ट कलेक्टर स्थापित है, जो कि निरीक्षण के समय कार्यरत पायी गयी।
6. उद्योग के जनित सॉलिड वेस्ट का निस्तारण हेतु रैण्ड्रिग प्लान्ट स्थापित है, रैण्ड्रिग प्लान्ट से जनित दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु बायो फिल्टर स्थापित है। निरीक्षण के समय बायो फिल्टर कार्यरत पाया गया। उद्योग से जनित ब्लड को ब्लड कोआगुलेटर प्लान्ट के द्वारा ब्लड मील में परिवर्तित किया जाता है। निरीक्षण के समय रैण्ड्रिग प्लान्ट, बायो फिल्टर एवं ब्लड कोआगुलेटर प्लान्ट संचालित पाये गये।
7. उद्योग में वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था के रूप में 1010 केवीए क्षमता के 03 नं0 कैनोपी युक्त डी0जी0 सेट स्थापित हैं। उक्त डी0जी0 सेट्स में ईधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। फ्लू गैसो के उत्सर्जन हेतु डी0जी0 सेट्स से सम्बद्ध एग्जॉस्ट पाइप्स की ऊँचाई बोर्ड मानको के अनुरूप है।
8. उद्योग परिसर में दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु एरोमेटिक स्प्रे आदि का प्रयोग समुचित प्रकार से किया जाता है। उद्योग द्वारा शुद्धिकृत उद्योग से जनित वेस्ट मीट, ब्लडमील तथा हड्डी आदि वेस्ट को रैण्ड्रिग प्लान्ट में प्रयुक्त किया जाता है।
9. उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के ऑनलाइन संदर्भ सं0 137014/यूपीपीसीबी/बरेली(यूपीपीसीबीआरओ)/ सीटीओ/ वाटर/ बरेली/2021 दिनांक 10.12.2024 द्वारा सशर्त जल सहमति एवं ऑनलाइन संदर्भ सं0 137010/ यूपीपीसीबी/ बरेली (यूपीपीसीबीआरओ)/सीटीओ/एयर/बरेली/2021 दिनांक 16.12.2024 द्वारा सशर्त वायु सहमति निर्गत की गयी है, जिसकी वैद्यता अवधि 31.12.2026 तक है।

10. उद्योग द्वारा एपीडा का लाइसेन्स प्राप्त किया गया है, जिसकी वैद्यता अवधि दिनांक 02.06.2026 तक है।

11. उद्योग द्वारा पशुओं को उतारने हेतु समुचित रैम्प की व्यवस्था की गयी है। उक्त के उपरान्त पशुओं को लैराज–वे में देखभाल हेतु उचित व्यवस्था में रखा जाता है, तदोपरान्त भैंस/भैसा के वध से पूर्व एन्टीमार्टम एवं वध के पश्चात पोस्टमार्टम पंजीकृत पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाता है। पशुवधशाला में नामित पशुचिकित्साधिकारी की देख–रेख में कार्य किये जा रहे है। निरीक्षण के समय उपस्थित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आज दिनांक 24.02.2026 को कुल 294 भैंस/भैंसो का वध किया गया है (जो कि उद्योग को प्राप्त पशुवध क्षमता–300 नं0/दिन भैंस/भैंसा के अनुरूप है)।

12. उक्त पशुवधशाला में मीट उत्पादन हेतु लाये जा रहे पशुओं का परिवहन नियमानुसार किया जा रहा है, लाये गये पशुओं की लैरेज में देखभाल हेतु मानको के अनुसार समुचित व्यवस्था की गयी है। पशुवधशाला में वध से पूर्व पशुओ की एन्टीमॉर्टम जांच पंजीकृत पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा की जाती है तथा पशुओ का वध हलाल प्रक्रिया से किया जाता है। वध के पश्चात कारकस का पोस्टमार्टम भी पंजीकृत पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा किया जाता है। मीट उत्पादन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के शेड्यूल 4 में दिये गये नियमों एवं विनियमों के अनुपालन करते हुये किया जा रहा है। प्रतिष्ठान में हाईजीन एवं सैनिटेशन मानको के अनुरूप पाया गया, प्रतिष्ठान में मांस उत्पादन में लगे हुये सभी कर्मचारियों द्वारा एप्रन, हैड गियर, हैंड ग्लब्स, फेस मास्क एव गम बूट्स/शू कवर का प्रयोग किया जा रहा है। निरीक्षण में एफ0एस0एस0ए0आई0 द्वारा जारी वैद्य खाद्य अनुज्ञप्ति सं0 10017051002009 सर्टिफिकेट पाया गया, जिसकी वैधता तिथि 15.03.2028 तक है। उत्पादित मीट का ट्रांसपोर्ट इंसुलेटिड रेफ्रिजरेटिड वाहनों के द्वारा किया जा रहा है।

13. समिति के सदस्यों के समक्ष उक्त संदर्भित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायत, जो कि उद्योग द्वारा अनुमति से अधिक स्लॉटरिंग किये जाने, जीरो लिक्यूड डिस्चार्ज का पालन न किये जाने, उद्योग के संचालन से वायु प्रदूषण के दुर्गन्ध की समस्या होना, भूगर्भ जल दूषित होना, डस्ट इमीशन एवं ई0टी0पी0 की क्षमता तथा नकटिया नदी में गंदा पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में है, का अवलोकन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग के आस–पास के हैण्डपम्पो के जल नमूने, जो कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली की प्रयोगशाला द्वारा अद्यतन में प्राप्त किये गये है, जिसमें भूगर्भ जल दूषित होने सम्बन्धी तथ्य की पुष्टि नहीं पायी गयी। निरीक्षण के समय समुचित जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें सुचारू रूप से संचालित पायी गयी। निरीक्षण के समय समिति के सदस्यों द्वारा अनुमति से अधिक एवं प्रतिबन्धित पशु वध किये जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं पाये गये। नकटिया नदी का बुखारा–फरीदपुर मार्ग ब्रिज से जल नमूना एकत्रित किया गया, प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार प्रचालक सामान्य प्रकृति के पाये गये। निरीक्षण के समय उक्त नदी में इकाई द्वारा औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होता हुआ नहीं पाया गया तथा शिकायत में वर्णित तथ्यों की पुष्टि नहीं पायी गयी।

14. पशुवधशाला में 24 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे है, जो पूर्ण क्रियाशील पाये गये।

उपरोक्त आपके सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड
बरेली

पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी
नगर निगम
बरेली

सहा0 आयुक्त खाद्य–।।
एफ0एस0एस0ए0आई0
बरेली

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
बरेली

नगर मजिस्ट्रेट
बरेली

नगर मजिस्ट्रेट
बरेली

REGIONAL LABORATORY BAREILLY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

E-1219/1, E-Block Rajendra Nagar, Awas Vikas Colony, Post-Izzat Nagar, Bareilly

TC-13738

TEST REPORT: WASTE WATER

Ref No: 35957953 /Bareilly/2026 **Date: 01.03.2026**

1- **Name of Industry:** Nagar Nigam Slaughter House Bareilly (Slaughter House) (Operated by M/s Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd)
2- **Address of Industry:** Village-Mohanpur Thiria, Tehsil- Bareilly, Distt.- Bareilly 243123
3- **District:** BAREILLY
4- **Description about sampling point:** Final Outlet Of ETP
5- **Sampling method: (Grab/Composite/Integrated):** Grab
6- **Sample Collected By:** DISTIC LEVEL COMMITTEE
7- **Colour and Odour:** Colourless and Odorless
8- **Quantity and Packing:** 2 Litre Plastic Jerican & Glass Bottle
9- **Date of Sample Collection:** 24.02.2026
10- **Analyis Indented by:** RO Bareilly
11- **Date of sample receipt in Lab:** 24.02.2026
12- **Date of start of analysis in Lab:** 25.02.2026
13- **Period of Analysis :** 28.02.2026
14- **ULR Number:** TC137380250001110F
15- **Sample Plan/Ref. No:** 35957953
16- **Sampling method :** APHA 24th Edition 2023-1060 A,B,C, Page No.-42-52, Collection & preservation of samples.

S.N.	Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
1	pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.5	6.5-8.5	02-12
2	Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540D Total Suspended Solids dried at 103- 105 °C 2023	mg/l	41.0	50	10-20000 mg/l
3	Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 CTotal Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	1680.0	2000	10-50000 mg/l
4	BOD, 3 day 27 °C IS3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	22.0	30	1.0-50000 mg/l
5	COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	184.0	250	5.0 – 100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: *NA*

Analysed by-

[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by

Chandresh Kumar Digitally signed by Chandresh Kumar Date: 2026.03.06 11:28:15 +05'30'

Regional Officer

UPPCB/BLY/PR/7.8.1/WW-2	Issue no: 04	Issue Date : 01.03.2026	Page No :1 of 2
Amendment No.02	Amendment date:15.02.2025	Approved by T.M	Issued by Q.M

---------------- END OF REPORT---------------

REGIONAL LABORATORY BAREILLY UTTAR PRADESH
POLLUTION CONTROL BOARD
E-1219/1, E-Block Rajendra Nagar, Awas Vikas Colony, Post-Izzat Nagar, Bareilly

TEST REPORT: WASTE WATER

Ref No: 35957953 /Bareilly/2026 **Date: 01.03.2026**

1- **Name of Industry:** Nagar Nigam Slaughter House Bareilly (Slaughter House) (Operated by M/s Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd)

2- **Address of Industry:** Village-Mohanpur Thiria, Tehsil- Bareilly, Distt.- Bareilly 243123

3- **District:** BAREILLY

4- **Description about sampling point:** Final Outlet Of ETP

5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab

6- **Sample Collected By:** DISTIC LEVEL COMMITTEE

7- **Colour and Odour:** Colourless and Odorless

8- **Quantity and Packing:** 2 Litter Plastic Jerican

9- **Date of Sample Collection:** 24.02.2026

10- **Analyis Indented by:** RO Bareilly

11- **Date of sample receipt in Lab:** 24.02.2026

12- **Date of start of analysis in Lab:** 25.02.2026

13- **Period of Analysis :** 28.02.2026

14- **ULR Number:** TC137380250001110F

15- **Sample Plan/Ref. No,:** 35957953

16- **Sampling method:** APHA 24th Edition 2023-1060 A,B,C, Page No.-42-52, Collection & preservation of samples.

S. N.	Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
1	Oil &_Grease	mg/l	3.6	10.0	-

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by

Chandresh Kumar
Digitally signed by Chandresh Kumar
Date: 2026.03.06 11:28:33 +05'30'

Regional Officer

ANNEXURE-3

कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली

पत्रांक 1023/NGT OA No.-56/2026 दिनांक 16/2/26

प्रेषक

जिलाधिकारी
बरेली

सेवा में,

1. सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ईस्ट अर्जुन नगर, निकट कड़कड़डुमा कोर्ट, नई दिल्ली (ई–मेल mscb.cpcb@nic.in.)।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 05वां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलिंगज, लखनऊ (ई–मेल rocz.lko-mef@nic.in) ।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 56/2026 "शैलेश सिंह बनाम सेन्ट्रल पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड व अन्य" में पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 56/2026 "शैलेश सिंह बनाम सेन्ट्रल पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड व अन्य" में पारित आदेश दिनांक 29.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

......"7. Having regard to the seriousness of the issue involved in the matter, we also deem it proper to appoint a Joint Committee comprising of a representative of the Member Secretary- CPCB, Member Secretary – UPPCB, RO-MoEF & CC Lucknow and District Magistrate – Bareilly. The District Magistrate – Bareilly will act as the coordinating agency in the Joint Committee. The Committee will visit the site ascertain the truthfulness of the allegations made by the applicant, the position of compliance of consent conditions by Respondent No. 6 and status of violation of Environmental norms and will submit its status report along with the recommendation.

8. Let this exercise be completed within a period of six weeks and status report be filed before the Tribunal immediately thereafter. ..."

9. List on 27.04.2026.

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में गठित समिति द्वारा जनपद बरेली में स्थापित/संचालित पशुवधशाला मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला (आपरेटर मै0 मारिया फ्रोजन एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्रा0लि0) मोहनपुर ठिरिया, बरेली का संयुक्त निरीक्षण किया जाना है। आपसे अनुरोध है कि जनपद बरेली में संचालित उक्त पशुवधशाला के संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रतिनिधि का नाम व पदनाम एवं मोबाईल नं0 उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि निर्धारित समयावधि में अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रेषित की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

A 14/2/2026
(अविनाश सिंह)
जिलाधिकारी
बरेली

प्रतिलिपि–सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी0सी0 12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

A 14/2/2026
जिलाधिकारी
बरेली

Latter SS

ANNEXURE-4

<u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0—56/2026 शैलेश सिंह बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक—29.01.2026 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, बरेली की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत बैठक दिनाक—29.03.2026 का कार्यवृत्त :—</u>

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0—56/2026 शैलेश सिंह बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक—29.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करे। जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है :—

"7. Having regard to the seriousness of the issue involved in the matter, we also deem it proper to appoint a Joint Committee comprising of a representative of the Member Secretary- CPCB, Member Secretary – UPPCB, RO-MoEF & CC Lucknow and District Magistrate – Bareilly. The District Magistrate – Bareilly will act as the coordinating agency in the Joint Committee. The Committee will visit the site ascertain the truthfulness of the allegations made by the applicant, the position of compliance of consent conditions by Respondent No. 6 and status of violation of Environmental norms and will submit its status report along with the recommendation. 8. Let this exercise be completed within a period of six weeks and status report be filed before the Tribunal immediately thereafter. List on 27.04.2026."

उक्त आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यालय जिलाधिकारी बरेली के पत्र सं0—162/वाद सहायक—पन्द्रह यू0आई0/2025—26 दिनाक—28.03.2026 के कम में सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी महोदय, बरेली द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में दिनाक—29.03.2026 को बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुये —

1. श्री सौरभ दूबे, अपर जिलाधिकारी (नगर), बरेली।
2. श्री शशी भूषण राय, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली।
3. श्री राजेश कुमार वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट, बरेली।
4. श्री राम जनम यादव, अपर उपजिलाधिकारी, बरेली।
5. श्री चन्द्रेश कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बरेली।
6. डा0 अखिलेश कुमार, पशुचिकित्सा अधिकारी, बरेली।

उक्त बैठक में सर्वप्रथम अपर जिलाधिकारी (नगर), बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा उक्त आदेश में मैसर्स नगर निगम स्लाटर हॉउस (ऑपरेटर मैसर्स मारिया फ्रोजन एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0), ग्राम—मोहनपुर ठिरिया, तहसील—सदर, जिला—बरेली की संयुक्त जॉच हेतु 04 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया है तथा समिति द्वारा वर्तमान में की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बरेली से सूचना चाही गयी।

तत्कम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली के पत्र सं0—1023/एन0जी0टी0 ओ0ए0—56/2026 दिनाक—16.02.2026 के कम में केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की ओर से श्री कमल कुमार, वैज्ञानिक 'ई', क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, लखनऊ की ओर से श्री ए0के0 गुप्ता, वैज्ञानिक 'ई', एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बरेली तथा जिला प्रशासन, बरेली की ओर से श्री राम जनम यादव, अपर उपजिलाधिकारी, बरेली को संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। संयुक्त समिति द्वारा दिनाक—12.03.2026 को प्रश्नगत इकाई मैसर्स नगर निगम स्लाटर हॉउस (ऑपरेटर मैसर्स मारिया फ्रोजन एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0), ग्राम—मोहनपुर ठिरिया, तहसील—सदर, जिला—बरेली का निरीक्षण किया गया। जिसकी संयुक्त आख्या तैयार कर यथाशीघ्र जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

जिलाधिकारी महोदय, बरेली द्वारा इकाई में जेड0एल0डी0 शर्त के अनुपालन के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी, जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई की औद्योगिक प्रकिया से उत्प्रवाह जनित होता है। जिसके शुद्विकरण हेतु इकाई में समुचित क्षमता का उत्प्रवाह शुद्विकरण संयंत्र स्थापित/संचालित

हैं जिससे शुद्विकृत उत्प्रवाह को परिसर में स्थापित करनाल टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत सिचाई हेतु प्रयुक्त किया जाता है, जिसकी व्यवहारिक्ता (फिजिबिलिर्टी) के सम्बन्ध में इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओ/विशेषज्ञ वैज्ञानिको से समय–समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

इसी कम में बैठक में उपस्थित पशु चिकित्साधिकारी, बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी महोदय, बरेली द्वारा जारी पूर्व निर्देशो के कम में पशुवधशाला से सम्बन्धित अधिनियमों एवं मानको का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमित मासिक रूप से उक्त पशुवधशाला का निरीक्षण किया जाता है। पूर्व दिनाक–24.02.2026 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के दौरान इकाई द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमो एवं मानको का अनुपालन पाया गया है।

अग्रेतर जिलाधिकारी महोदय द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बरेली को निर्देशित किया गया है कि संयुक्त समिति की आख्या यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करे तथा स्थायी अधिवक्ता से समन्वय स्थापित करते हुये अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये अनुपालन आख्या अधोस्ताक्षरी के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष दाखिल करना सुनिश्चित करें।

अन्त में सभी का धन्यवाद करते हुये बैठक का समापन किया गया।

29/3/2026

जिलाधिकारी
बरेली

पत्र सं0– 1199/NGT OANO-56/2026/2026 दिनाक– 30.3.26

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (नगर), बरेली।
2. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली।
3. नगर मजिस्ट्रेट, बरेली।
4. अपर उपजिलाधिकारी, बरेली।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बरेली।
6. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, बरेली।

29/3/2026

जिलाधिकारी
बरेली

ANNEXURE-5

कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली

सन्दर्भ सं0– 70 /NGT OA No-56/2026/2026 दिनाक– 22.4.26.

1. अपर मुख्य अधिकारी
   जिला पंचायत, बरेली।

2. क्षेत्रीय अधिकारी,
   उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
   बरेली।

विषय मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 नं0–56/2026 शैलेश सिंह बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक–29.01.2026 के अनुपालन मे गठित संयुक्त समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Orignal Application No. 56/2026 शैलेश सिंह बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक–29.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करे। उक्त प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित समिति द्वारा प्रश्नगत स्थल मैसर्स नगर निगम स्लाटर हॉउस (ऑपरेटर मैसर्स मारिया फ्रोजन एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0), ग्राम–मोहनपुर ठिरिया, तहसील–सदर, जिला–बरेली का निरीक्षण दिनाक–12.03.2026 को किया गया। संयुक्त समिति की आख्या में दी गयी संस्तुति का विवरण निम्नवत् है:–

a. Unit shall continue comply with ZLD (Zero Liquid Discharge) condition stipulated in CTO issued by UPPCB.
b. Unit shall ensure good housekeeping in lairage area and rendering area.
c. Unit shall submit latest Irrigation Management Plan approved by Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur to UPPCB.
d. It is proposed that the local administration may construct a concrete approach road with an integrated drainage system, funded through CSR to eliminate any discharge.
e. The unit shall install an ammonia sensor near the storage tank as a preventive measure.
f. The unit shall upgrade the oil and grease trap installed in the existing Effluent Treatment Plant (ETP).

उपरोक्त वर्णित संस्तुति के बिन्दु सं0–डी0 के सम्बन्ध में कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बरेली एवं शेष बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बरेली द्वारा किया जाना अपेक्षित है। संयुक्त समिति की आख्या पत्र के साथ संलग्नकर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के कम में अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करे, जिससे समेकित आख्या मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित की जा सके।

वाद मे सुनवाई की अग्रिम तिथि 27.04.2026 नियत है।

भवदीय,

22/4/2026

(अविनाश सिंह)
जिलाधिकारी
बरेली।